



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 801]
No. 801]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1285(अ).—“सड़कों या हवाई पट्टियों के सन्निर्माण या रखरखाव अथवा निर्माण सक्रिया, जिसके अंतर्गत भूमिगत विद्युत, बेतार, रेडियो, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीग्राफ तथा विदेश संचार केबल और उसी प्रकार के अन्य भूमिगत केबल कार्य, विद्युत लाइनें, जलापूर्ति लाइनें तथा मलवहन पाइपलाइन बिछाना भी है” में लगे कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित करने का प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का.आ. 132(अ) में तारीख 13 जनवरी, 2009 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी और उनसे उस तारीख से, जिनको अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थीं, से दो मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 14 जनवरी, 2009 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और केन्द्रीय सरकार के द्वारा उक्त प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात्, इस अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दरें नियत करती है।

मजदूरी की न्यूनतम दरों में, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी, निम्नलिखित शामिल होगा—

- (क) इससे संलग्न अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2), (3) और (4) में उपवर्णित और स्तंभ (2), (3) और (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रवर्गों को सदेव मजदूरी की मूलभूत दरें; और
- (ख) उक्त अनुसूची के भाग 2 के विशेष भत्ते को (जिसे इसके पश्चात् परिवर्ती महँगाई भत्ता कहा गया है) उक्त अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2), (3) और (4) उल्लिखित दर पर प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर क्रमशः 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को शुरू होने वाली छमाही के अंतराल पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची
भाग-I: मूलभूत न्यूनतम मजदूरी दरें

कर्मकार का प्रवर्ग	प्रतिदिन मूलभूत न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
		क्षेत्र (क)	क्षेत्र (ख)	क्षेत्र (ग)
अकुशल :				
बजरी फैलाने वाला, बेलदार, बीटर महिला, बैलवुमन, चैनमैन, नाविक, बाल्टी वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहक, केयरटेकर (पुल), क्लीनर (क्रेन, ट्रैक, राखगर्त के लिए सिंडर), चौकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफादार, ड्राइवर (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर), झंडीवाला, झंडीवाला (ब्लास्ट ट्रेन) गेट मैन, गैंगमैन, गेटिंगमैन (स्थायी पथ) हैंडलमैन, जम्पर मैन, कामिन (महिला कार्य), खलास, पुल, विद्युत, मैरीन, मोपलाह, भंडार, स्टीम रोड, शोयर, रोलर सर्वे, श्रमिक (गार्डन), मजदूर, होल कटर, लारी प्रशिक्षु, पेट्रोलमैन, चपरासी, तलाशीकर्ता, सिगनलमैन, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग), स्वीपर, टाल बाय, टाइल टर्नर, ट्राली मैन, वक्स कन्ट्रोलर, वाल्वमैन, वाचमैन, सफेदी वाला, वूडरमैन, वडरवोमैन, बोरीमैन, कोलमैन, कंडेन्सर, परिचर, घास काटने वाला, मुच्छर जमादार, कन्डेन्सर परिचर, शंटर और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं ।	180	150	120	
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय :				
बेलचेवाला, भिश्ती, भिश्ती (मुशक सहित), नाववाला (प्रधान), भंजक, भंजक (चट्टान चट्टान पत्थर, प्रस्तर धातु, पत्थर) बेंत बुनने वाला, चैनमैन (प्रधान), चारपाई कसने वाला, जांच पड़ताल कर्ता, चौकीदार (प्रधान), सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार), क्रेकर, दफ्तरी, डालीमैन, सहायक, ड्रिलर, चालक (स्किन), उत्खनक, फैरोमैन, फायरमैन, फायरमैन (ईंटों का भट्टा, स्टीम रोड रोलर) गेटकीपर, घरामी थेचर, शीशेवाला, ग्रेटर, ग्रीसर एवं फायरमैन, ग्राइंडर, हथोड़े वाला, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), जमादार, की मैन, खलासी (प्रधान) सर्वेक्षक, रिक्टर्स मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी, श्रमिक (चट्टानकर्तन), लश्कर, माली, (प्रधान), मैट, मैट (लोहार, सड़क, काष्ठकार), इंजिन चालक और/या फीडर, फिटर, गैंग, खलासी, मजदूर राज, स्थायी पथ, पम्प ड्राइवर, टर्नर, मजदूर (भारी वजन), चार्जमैन, मिस्त्री (प्रधान), मुकादम, रात्रिगार्ड,	200	170	140	

<p>रनर (पोस्ट डाक), तेलवाला, खदानकार, खदान प्रचालक, स्टोन मैन, भंडार वाला, थेचर, भंडार वाले और बायलर मैन, थुम्बामैन (स्पेडकर्मी), टिंडलस, ट्रालीमैन (प्रधान, मोटर), फिटर (सहायक, अर्द्ध कुशल), जमादार (अर्द्धकुशल) मेट (पत्थर), पम्प अटेंडेंट, वाहक, ब्रेकमैन, क्रोल्डरमैन, रसोइया, डांडी, फराश, हैक्सामैन, सहायक (लोको, क्रेन/ट्रक) कसाब, खलासी (संरचना), प्रयोगशाला परिचर, मांझी (नाववाला), मसालची पी.एम.मेट्स, प्वाइंटस मैन सेनकम्मी, टोपाज, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला), ट्राली जमादार, विंचमैन, हाजिरी लगाने वाला, सहायक वायर मैन और अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।</p>			
कुशल			
<p>सहायक मिस्त्री, आर्मचर वाइंडर श्रेणी II और III, भण्डारी, लोहार, लोहार (चयन श्रेणी, ग्रेड-II, III वर्ग II और III) बायलरमैन, बायरलरमैन श्रेणी II, III, बायलर फोरमैन श्रेणी II, कार्य (सहायक), ईट बिछाने वाला, ईट बिछानेवाला(चयन श्रेणी II), ब्लास्टर, बढई, बढई (चयन ग्रेड, ग्रेड II व III, वर्ग I व III) सहायक बी.आई.एम.रोड), केबिनेट बनाने वाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित) केनमैन, स्लोटेक्स, कटर बनाने वाला चार्जमैन, श्रेणी II और III, काष्ठकार(साधारण), जांच-पड़तालकर्ता (कनिष्ठ), चिक बनाने वाला, चिकवाला (कनिष्ठ) कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, मोची, कोर मेकर, चालक, चालक मोटर वाहन, मोटर वाहन चयन श्रेणी, मोटर लारी, मोटर लारी श्रेणी II, लारी गेड II, डीजल इंजिन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक रोड रोलर, आई.सी और सीमेन्ट मिश्रक आदि रोड रोलर, रोड रोलर चालक श्रेणी II चालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्रशर, ट्रैक्टर/बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, जल पम्प, यांत्रिक सहायक, रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम और क्रेन, बुल डोजर सहित, ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन, इंजन, स्थिर और रोड रोलर, बायलर परिचर इंजन), प्रचालक (स्टोन क्रेशर यांत्रिक), डिस्टैम्पुरर, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री (श्रेणी II, वर्ग II, और वर्ग III), फिटर, फिटर (चयन श्रेणी, श्रेणी II, व III) (वर्ग II व III, सहायक, पाइप, वर्ग II, लाइन वर्ग II, पाइपलाइन एंडिंग बार्स फॉर री-इंफोर्समेंट कम -मैकेनिक, यांत्रिक और-नलसाज), घरामी (प्रधान), ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर, जॉयनर, जॉयनर केबल, केबल श्रेणी, II) लाइनमैन (ग्रेड II, III, उच्च दाब/कम दाब) राजमिस्त्री, राज मिस्त्री (चयन श्रेणी, श्रेणी II, III, और वर्ग ख मिस्त्री), स्टोन, (स्टोन वर्ग II, ईट का काम, पत्थर का कार्य), ईट बिछाने वाला, टाइल फ्लोरिंग, बी.आई.एम., मुक्कदम (प्रधान),</p>	220	200	170

पत्थर कर्तन, साधारण मिस्त्री, मैकेनिक, यांत्रिक (वर्ग II, वातानुकूलन, वातानुकूलन, श्रेणी II, डीजल श्रेणी II, रोड रोलेर श्रेणी II, सहायक, रेडियो) राजमिस्त्री (घरमी), मिस्त्री श्रेणी II, वातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी पथ, सर्वेक्षण, संतराश कार्य) राजमिस्त्री वर्ग क, मोल्डर, मोल्डर (ईट, टाइल), रंगपेन्टर, रंगपेन्टर (चयन श्रेणी, ग्रेड II, और III, वर्ग II, सहायक लाटर और पॉलिशर, पॉलिशर रफ (प्लास्टरकर्ता) (राजमिस्त्री श्रेणी II), नलसाज, नलसाज (चयन श्रेणी, वर्ग II सहायक लॉटर और पॉलिशर पॉलिशर, रफ) प्लास्टरकर्ता, प्लास्टरकर्ता (राजमिस्त्री ग्रेड II), नलसाज (चयन ग्रेड, वर्ग-II) सहायक वरिष्ठ, कनिष्ठ, मिस्त्री, श्रेणी II) नलसाज मिस्त्री, नलसाज-सह-फिटर, पॉलिशगर पॉलिशगर(फर्श), पम्प चालक, पम्प चालक (चयन श्रेणी), श्रेणी II और III, वर्ग, II), पंपचालक चयन श्रेणी, पी ई, चालक, पंपवाला, पम्प वाला, (सहायक) नलसाज पॉलिशकर (स्रे सहित) श्रेणी II, रतनमैन, रिविट कटर (सहायक) रिविटर, रिविटर (कटर), सड़क निरीक्षक श्रेणी II, रेलवे प्लेट लैयर, रोड बेन्डर, आराकश, आराकश (चयन श्रेणी वर्ग II), सरंग, संरग पाइल ड्राइविंग पैंटूम्स बायलर सहित, शोपमैन, पारी प्रभारी, स्रे मैन, स्रे मैन (रोड), स्टोनकटर, स्टोनकटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II, वर्ग II) स्टोन चिसलर, स्टोन चिसलर (वर्ग II), पत्थर विस्फोटकर्ता, उप- ओवरसियर (अनर्हक) सर्वेक्षक, सर्वेक्षक (सहायक), दर्जी, दर्जी (अपहोलस्ट्री)] ट्रांसप्रेयर तारमैन, लाइनमैन, टाइलर वर्ग II, दीवार (फर्श, छते), टाइलर (चयन श्रेणी), टीनकार, टीनकार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II) ठठेरा, ट्रेलर्स, टर्नर, सोफासाज, सोफासाज(श्रेणी II और III) रंगसाज स्रे (वर्ग II), लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला चयन श्रेणी, लकड़ी काटने वाला श्रेणी II, वर्क सिरकार, झलाईगर, गैस झलाईगर, झलाईगर, (वर्ग II,) पुल कार्य) कूप निमज्जक, सफेदी वाला, सफेदीवाला (चयन श्रेणी वर्ग II), वायरमैन, वायरमैन (श्रेणी, II और III, यांत्रिक, विद्युत) वाइट वाशिंग एंड क्लर वाशिंग मैन, वातिक औजार प्रचालक, प्रचालक (फिटर), बोरमैन, बेधक, छिलाईगार छिलाईगार एवं पिसाईगार, रसोइया (प्रधान) ड्रिलर, ड्रिलर (कूप वेधन), चालक (लोको/ट्रक), बिजली मिस्त्री (सहायक), यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (स्टेल, ट्यूब-वेल, टेलीफोन), मीटर रीडर, मौसम प्रेक्षक, नावधानी प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प, शैल्प, संपवीडिक, ग्रेन, डौरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रेगलिंग, ड्रिल डम्पर, उत्खनक, फोर्क, लिफ्ट जनित्र, ग्रेडर, जैक हैम्पर और पेमेन्ट ब्रेकरा लोडर, पम्प, पाईल चालन, स्क्रैपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवैल, ट्रैक्टर,

वाइब्रेटर, वेटबैचर, रेल गार्ड, रिपेयरर (बैटरी), शार्पर/स्लॉरट, स्प्रेयर (एशालट) स्टेशन मास्टर, सर्वेक्षक (सिल्ट), ट्रेड्समैन, ट्रेन परीक्षक, टर्नर/मिलर, टायर बल्केनाइजर, कुशल प्रकृति की कोई अन्य श्रेणियां चाहे उनके नाम कुछ भी हों ।			
लिपिकीय			
एम.सी. लिपिक, मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार जारीकर्ता, भंडार रक्षक भंडार, रक्षक वर्ग । और ॥ (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, समय पाल, समयपाल, (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), बुक कीपर, कार्य मुंशी, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ) लेखालिपिक, लिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, टंकक, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों।	220	200	170
अति कुशल			
आर्मेचर वाईडर श्रेणी ।, लौहार श्रेणी । और वर्ग ।, बॉयलरमेन श्रेणी ।, बॉयलरमैन फोरमेन श्रेणी ।, ईट बिछाने वाला वर्ग ।, केबल संयोजक श्रेणी ।, काष्ठकार श्रेणी ।, और वर्ग ।, सेलो कटर और सजावटकार, चार्जमैन वर्ग ।, जांच पड़तालकर्ता (ज्येष्ठ), चालक लारी श्रेणी ग्रेड- ।, मोटर लारी श्रेणी ।, मोटर वाहन वर्ग । और डीजल इंजिन श्रेणी ।, रोडरोलर श्रेणी ।, पम्प वर्ग विद्युतकर्मी श्रेणी । और वर्ग ।/श्रेणी ।, फिटर (श्रेणी । और वर्ग ।), पाइप वर्ग । (प्रधान), फोरमैन, (सहायक) लाइनमैन श्रेणी ।, राज (कुशल श्रेणी । वर्ग ।), मास्ट रिंग, मैकेनिक वर्ग । और वर्ग ॥, मैकेनिक (डीजल) श्रेणी । और रोडरोलर श्रेणी ।, वातानुकूलन श्रेणी ।/वर्ग ।/मिस्त्री श्रेणी ।, मिस्त्री (वातानुकूलन श्रेणी ।), ओवरसियर, ओवर सियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) रंगसाज श्रेणी ।, वर्ग ।, स्प्रे), प्लास्टरकर्ता (राज) वर्ग ।, नलसाज (प्रधान वर्ग ।) मिस्त्री श्रेणी ।, पॉलिशकर्ता (स्प्रे सहित) वर्ग ।, सड़क निरीक्षक वर्ग ।, आराकश श्रेणी ।, स्टोन कटर वर्ग ।, स्टोन चिलनर श्रेणी ।, स्टोन मिस्त्री श्रेणी ।, उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त), टाइलर वर्ग ।, टीनकार श्रेणी ।, वर्ग ।, सोफासाज श्रेणी ।, वार्निशकार वर्ग ।, वेल्डर एवं फिटर और वातानुकूलन, मैकेनिक झलाईकार (गैस) वर्ग ।, सफेदी वाला वर्ग ।, वायरमैन श्रेणी ।, वर्ग ।, काष्ठ काटनेवाला वर्ग ।, घिसाईकार (औजार) श्रेणी ।, प्रचालक (बैचिंग प्लांट) श्रेणी ।, क्लैम्प शैल श्रेणी ।, काम्प्रेसर श्रेणी ।, क्रेन श्रेणी ।, डीजल इंजिन श्रेणी ।, डोजर ग्रेड ।, ड्रेगलाइन वर्ग ।, ड्रिल श्रेणी ।, डम्पर श्रेणी ।, उत्खनक श्रेणी ।, फोर्क लिफ्ट श्रेणी ।, जनित्र श्रेणी ।, ग्रेडर श्रेणी ।, लीडर श्रेणी ।,	240	220	200

पाइल ड्राइविंग श्रेणी I, पम्प श्रेणी, स्केपर श्रेणी I, स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणी I, शॉवल श्रेणी I, शावल और ड्रेगलाइन, ट्रेक्टर श्रेणी I, वाइब्रेटर श्रेणी I, रिगर श्रेणी I, रिगर श्रेणी II, चार्पर/स्लेटर श्रेणी I, शॉवल और ड्रेगलाइन, ट्रेक्टर श्रेणी I, ट्रेड्समैन वर्ग I, टर्नर/मिलर श्रेणी I, टायर वॉलकेनाइजर श्रेणी I, कार्य (सहायक) श्रेणी I और कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रवृत्ति के हों, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।			
---	--	--	--

भाग -II

कामगारों का प्रवर्ग	परवर्ती मंहगाई भत्ते की दर (आधार वर्ष (2001=100) के बाद औद्योगिक श्रमिकों संबंधी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 133 अंक से अधिक प्रत्येक अंक की वृद्धि या कमी के लिए) जो जुलाई-दिसम्बर, 2007 की अवधि का छमाही औसत है।		
	क्षेत्र 'क'	क्षेत्र 'ख'	क्षेत्र 'ग'
(1)	(2)	(3)	(4)
1. अकुशल	1.35 रु.	1.13 रु.	0.90 रु.
2.अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	1.50 रु.	1.28 रु.	1.05 रु.
3. कुशल व लिपिकीय	1.65 रु.	1.50 रु.	1.28 रु.
4. अति कुशल	1.80 रु.	1.65 रु.	1.50 रु.

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, 1 क) इस अधिसूचना के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में ऐसे क्षेत्रों के रूप में उक्त उपाबंध में विनिर्दिष्ट क्रमशः सभी स्थान शामिल होंगे तथा नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति से पंद्रह किलोमीटर तक की परिधि के सभी स्थान शामिल होंगे और क्षेत्र "ग" में उपाबंध में उल्लेख न किए गए ऐसे सभी स्थान शामिल होंगे जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

- ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए अथवा श्रेणी में उन्नयन किए गए स्थानों को भी इस मसौदा प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे परिवर्धन एवं उन्नयन की तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा।
2. "ग" वर्ग श्रेणी में जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्रवार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार ने शीतकालीन भत्ता या पर्वतीय भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया है, सड़कों या रनवे के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं

जिसमें भूमिगत, विद्युत, वायरलैस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और ऊपरी संचार केबलों को डालने या भूमिगत केबल डालने के कार्य, विद्युत लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें और सीवरेज लाइन के अंतर्गत ऐसे ही कार्य में नियोजित कर्मचारियों को, उन्हें अधिसूचना द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त इस प्रकार नियत न्यूनतम मजदूरी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा।

परन्तु ऐसे स्थानों में जो समुद्र तल से 6000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं वहां 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।

3. गगनचुंबी इमारतों अर्थात् 30 फुट अथवा इससे अधिक ऊँची इमारतों में, एक दिन में एक घंटे के लिए भी नियोजित कर्मकारों को समुचित श्रेणी हेतु न्यूनतम मजदूरी से 20 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
4. सुरंग में कार्य करने वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित श्रेणी के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
5. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी साधारण क्रियाएं अंतर्विष्ट हैं जिनके लिए कार्य के संबंध में मामूली अथवा कोई कौशल या अनुभव अपेक्षित न हो।
 - (ख) "अर्द्ध-कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या दक्षता अंतर्विष्ट है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है तथा इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य शामिल है।
 - (ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से शिक्षु के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या दक्षता अपेक्षित है।
 - (घ) "अति कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबत किए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।
6. जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों, जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम हैं वहां राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के संबंध में नियत की गयी मजदूरी दरें इस अधिसूचना के अंतर्गत देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समझी जायेंगी।

7. मजदूरी की न्यूनतम दरों में साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए देय मजदूरी भी शामिल है।
8. इस अधिसूचना के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
9. निःशक्त कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित श्रेणी के कर्मकारों को देय दरों के समान ही होंगी।
10. पुरुष और महिला कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान दर पर मजदूरी प्राप्त करेंगे।
11. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी की न्यूनतम दरों में न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्ती महंगाई भत्ता दोनों शामिल हैं।

[फा. सं. एस-32017/3/2008-डब्ल्यू सी (एम.डब्ल्यू.)]

हरचरण सिंह, उप महानिदेशक

क्षेत्र- 'क'		उपाबंध	
अहमदाबाद	(यू ए)	हैदराबाद	(यू ए)
बंगलुरु	(यू ए)	कानपुर	(यू ए)
कोलकाता	(यू ए)	लखनऊ	(यू ए)
दिल्ली	(यू ए)	चैन्नई	(यू ए)
वृहत्तर मुम्बई	(यू ए)	नागपुर	(यू ए)
क्षेत्र - 'ख'			
आगरा	(यू ए)	जमशेदपुर	(यू ए)
अजमेर		जोधपुर	
अलीगढ़		कोच्चि	(यू ए)
इलाहाबाद	(यू ए)	कोल्हापुर	(यू ए)
अमरावती		कोझीकोड	(यू ए)
औरंगाबाद	(यू ए)	कोटा	
बरेली	(यू ए)	लुधियाना	
भावनगर		मदुरै	(यू ए)
बीकानेर		मेरठ	(यू ए)
भोपाल		मुरादाबाद	(यू ए)
भुवनेश्वर		मैसूर	(यू ए)
अमृतसर		नासिक	(यू ए)
चंडीगढ़	(यू ए)	पुणे	(यू ए)
कोयम्बटूर	(यू ए)	पटना	(यू ए)
कटक	(यू ए)	रायपुर	(यू ए)
दुर्गापुर		राजकोट	
फरीदाबाद कम्प्लैक्स		रांची	(यू ए)
गाजियाबाद	(यू ए)	शोलापुर	(यू ए)

गोरखपुर		श्रीनगर	(यू ए)
गुवाहाटी शहर		सूरत	(यू ए)
गुन्टूर		तिरुवनन्तपुरम	(यू ए)
ग्वालियर	(यू ए)	वडोदरा	(यू ए)
इन्दौर	(यू ए)	वाराणसी	(यू ए)
हुबली-धारवाड़		विजयवाड़ा	(यू ए)
जबलपुर	(यू ए)	विशाखापट्टनम	(यू ए)
जयपुर	(यू ए)	वारंगल	

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है लेकिन जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू होता है।

कृपया ध्यान दें: यू ए शहरी समूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2009

S.O. 1285(E).— Whereas the proposals to revise the minimum rates of wages per day payable to the employees engaged in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines", was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), vide Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. 132 (E), dated the 13th January, 2009 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months, from the date on which copies of Gazette notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 14th January, 2009;

AND whereas, no objections or suggestions have been received on the said proposals by the Central Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Central Government after consulting the Advisory Board, hereby revise the minimum rates of wages payable to the employees employed in this Scheduled employment.

1900 GT/09-3

The minimum rates of wages, which will be effective from date of this notification shall consist of -

(a) basic rates of wages as set out in columns (2), (3) and (4) of Part-I of the Schedule annexed herewith and payable to the categories of employees working in areas mentioned in Columns (2), (3) and (4) thereof; and

(b) a special allowance (hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance) in Part-II of the said Schedule shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of six months commencing on the 1st October and 1st April on the basis of average Consumer Price Index Number for Industrial Workers for the each preceding period of six months ending on 30th June and 31st December every year respectively, at the rate mentioned in Columns (2), (3) and (4) of Part-II of the said Schedule.

Schedule

Part -I: Basic Minimum Rates of Wages

Category of Worker (1)	Minimum Rates of Basic wages per day (in Rupees)		
	(2) Area (A)	(3) Area (B)	(4) Area (C)
Unskilled Bajri Spreader, Beldar, Beater Women, Bell-Woman, Chain Man, Boat Man, Bucket Man, Carrier (Stone), Carrier (Water), Cartman, Caretaker (Bridge), Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit), Chowkidar, Concrete (Hand Mixer), Daffadar, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), Flag Man, Flagman (Blast Train), Gate Man, Gangmen, Gatingman (Permanent Way), Handle Man, Jumper Man, Kamin (Female Work), Khalas, Bridge, Electrical, Marine, Moplah, Store, Steam Road, Share, Roller Survey, labourer	180	150	120

<p>(Garden), Mazdoor, Hole Cutter, Lorry Trainees, Petrolman, Peon, Searcher, Signal man, Strikers, Striker (Moplah gang), Sweeper, Tall Boy, Tile Turner, Trolley man, Vaks Controller, Valveman, Watchman, White Washer, Wooderman, Wooder Woman, Borryman, Coalman, Condenser, Attendant, Grass Cutter, Muchhers Jamadars, Condenser Attendant, Shunters, and any other categories by whatever name called, which are of an unskilled nature.</p>			
<p>Semi-skilled / Unskilled Supervisory</p> <p>Belchawala, Bhisti, Bhisti (with Mushk), Boatman (head), Breaker, Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal, Canweaver, Chain-man (Head), Charpoy-Stringer, Checker, Chowkidar (Head), Security Guard (without arms), Cracker, Daftri, Dollyman, Assistant, Driller, Driver (Skin), Excavator, Ferroman, Fireman, Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller), Gate Keeper, Gharami Thatcher, Classman, Grater, Greaser-cum-Fireman, Grinder Hammerman, Helper (Artisan), Helper (Sawyer), Jamadar, Keyman, Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory), Labourer (Rock-Cutting), Lascar, Mali (Head), Mate, Mate (Blacksmith, Road, Carpenter), Engine Driver and/or Feeder, Fitter, Gang, Khalasi, Mazdoor Mason, Permanent Way, Pump-Driver, Turner), Mazdoor (Heavy-weight), Charge-man, Mistri (Head, Muccadam, Night-guard, Runner (Post dak), Oilman, Quarry man, Quarry Operator, Stoneman, Stocker, Thatcher, Stockers and Boilerman, Thoombaman (Spade worker), Tindals, Trolleyman (Head Motor), Fitter (Assistant</p>	<p>200</p>	<p>170</p>	<p>140</p>

Semi-Skilled), Jamadar, (Semi-skilled), Mate (Stone), Pump Attendant, Bearer, Breakman, Crowder Man, Cook, Dandee, Frash, Hacksaw man, Helper (locco-Crane/Truck), Kasab, Khalasi (Structural), Laboratory Boy, Manjhee (Boatman), Masalchi P.M. Mates, Pointsman Sencummy, Topas, Topkar (Big Stone Breaker), Trolly Jamadar, Winchman, Attendance-keeper, Assistant Wireman and any other categories by whatever name called, which are of semi-skilled nature			
Skilled Assistant Mistry, Armature Winder Grade-II and III, Bhandari, Blacksmith, Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III) Boilerman, Boilerman Grade II and III, Boiler Foreman Grade II, Work (Assistant), Brick Layer, Bricklayer (Selection Grade, Class II), Blaster, Carpenter, Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant, B.I.M. Road, Cabinet Maker, Security Guards (with arms), Caneman, Celotex, Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary), Checkder (Junior), Chick Maker, Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer, Concrete Mixure Operator, Cobbler, Coremaker, Driver, Driver Motor Vehicle, Motor Vehicle Selection Grade, Motor Lorry, Motor-Lorry Grade II, Lorry Grade II, Diesel Engine, Diesel Engine Grade II, Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc., Road Roller, Road Roller Driver Grade II, Driver (Engine Static, Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane,	220	200	170

<p>Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant, Engine Operator (Stone Cursher Mechanical) Distemperer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III), Fitter, Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber), Gharami (Head), Glazier, Hole Driller for Blasting, Joiner, Joiner (Cable, Cable Grade II), Lineman (Grade II, III, High Tension/Low Tension), Mason, Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry), Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work), Brick-layer, Tile Flooring, B.I.M., Muccadam (Head), Stone cutting, Ordinary Machanis, Mechanic, Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II, Diesel Grade II, Road Roller Grade II, Assistant, Radio), Manson (Gharami), Mistry, Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works), Mason Class A, Moulder, Moulder (Brick, Tile), Painter, Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough), Plasterer, Plasterer (Mason Grade II), Plumber, Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough), Plasterer, Plasterer (Mason Grade II), Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II), Plumbing Mistry, Plumber-cum-Fitter, Polisher, Polisher (Floor), Pump Driver, Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II), Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver, Pumpman, Pumpman (Assistant),</p>			
---	--	--	--

1900 GI/09-4

<p>Plumber, Polisher (with spray) Grade II, Ratan Man, Rivet Cutter (Assistant) Rivetter, Rivetter (Cutter), Road Inspector Grade II; Railway Plate Layer, Rod Bender, Sawyer, Sawyer (Selection Grade Class II) Serang, Serangpile Driving Pantooms with Boiler, Shapeman, Shift-incharge, Sprayman, Sprayman (Roads), Stone Cutter, Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II), Stone Chisler, Stone Chisler (Class II), Stone Blasterer, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyors, Surveyors (Assistant), Tailor, Tailor (Upholstry), Transprayer, Tar man, Line Man, Tiler Class II, Wall (Floor, Roof), Tiler (Selection Grade), Tin-Smith, Tin Smith (Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker, Trailors, Turner, Upholsterer, Upholsterer (Grade II and III), Painter Spray (Class II), Wood Cutter, Wood Cutter Section Grade, Wood Cutter Class II, Work Sircar, Welder, Welder gas, Welder (Class II, Bridge work), Well Sinker, White Washer, White Washer (Selection Grade, Class II), Wireman, Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical), White Washing and Colour Washing Man, Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter), Boreman, Borer, Chipper, Chipper-Cum-Grinder, Cook (Head), Driller, Driller (Well Boring), Dryer (Loco/Truck), Electrician (Assistant), Mechanic (Tube-Well), Mistry Stell, Tube-Well, Telephone), Meter Reader, Meterorogical Observer, Navghani, Operaor (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump,</p>			
--	--	--	--

<p>Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shovel, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery), Sharper/Slotter, Sprayer (Ashalt) Station Master, Surveyor (Silt), Trades-Man, Train Examiner, Turner/Miller, Tyre Vulcaniser and any other categories by whatever name called, which are of a skilled nature.</p>			
<p>Clerical M. C. Clerk, Munshi (Matriculate, Non-matriculate), Store Clerk (Matriculate Non-matriculate), Store Issuer, Store Keeper, Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate), Tally Clerk, Time Keeper, Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate), Book Keeper, Work Munshi, Work Munshi (Subordinate), Accounts Clerk, Clerks, Computer, Telephone Operator, Typist, and any other categories by whatever name called which are of a clerical nature.</p>	220	200	170
<p>Highly Skilled Armature Winder Grade I, Blacksmith Grade I and Class I, Boilerman Grade I, Boilerman Foreman Grade I, Brick Layer class I, Cable Joiner Grade I, Carpenter grade I and Class I, Celo Cutter and Decorator, Chargeman Class I, Checker (Sr) Driver Lorry Grade I, Motor Lorry Grade I, Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I, Road Roller Grade I, Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I, Fitter (Grade I, Class I), Pipe Class I (Head), Foreman (Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I), Mast Rig, Mechanic Class I and Class II, Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I, Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I, Mistry (Airconditioning Grade I), Overseer, Overseer (Senior and Junior), Painter (Grade I, Class I, Spray)</p>	240	220	200

<p>Plasterer (Mason) Class I, Plumber (Head, class I), Mistry Grade I, Polisher (with spray Grade I, Road Inspector Grade I, Sawyer Class I, Stone Cutter Class I, Stone Cutter Grade I, Stone Chisler Class I, Stone Mason Class I, Sub-Oversear (Qualified), Tiler Class I, Tinsmith Grade I and Class I, Upholsterer Grade I, Varnisher Class I, Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic, Welder (Gas) Class I, White Washer Class I, Wireman Grade I, Class I, Wood Cutter Class I, Grinder (Tool) Grade I, Operator (Batching Plant Grade I), Clamp Shell Grade I, Compressor Grade I, Crane Grade I, Diesel Engine Grade I, Dozer Grade I, Dragline Grade I, Drill Grade I, Dumper Grade I, Excavator Grade I, Fork Lift Grade I, Generator Grade I, Grader Grade I, Leader Grade I, Pile Driving Grade I, Pump Grade, Scrapper Grade I, Screening Plant Grade I, Pump Grade I, Scrapper Grade I, Screening Plant Grade I, Shovel Grade I, Shovel and Dragline, Tractor Grade I, Vibrator Grade I, Rigger Grade I Rigger Grade II, Charper/Sletter Grade I, Shovel and Dragline Tractor Grade I, Tradesman Class I, Turner/Miller Grade I, Tyre Vulcaniser Grade I, Work (Assistant) Grade I, and any other categories by whatever name called, which are of a highly skilled nature.</p>			
---	--	--	--

Part - II

Categories of Workers	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 133, which is the average monthly Consumer Price Index Number for industrial workers (Base year 2001=100), for the period July-December, 2007.		
	Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Unskilled	Rs.1.35	Rs.1.13	Rs.0.90

2. Semi-skilled/ Unskilled-Supervisory	Rs.1.50	Rs.1.28	Rs.1.05
3. Skilled and Clerical	Rs.1.65	Rs.1.50	Rs.1.28
4. Highly Skilled	Rs.1.80	Rs.1.65	Rs.1.50

Explanation.- For the purpose of this Notification,-

- 1 a) Area "A" and Area "B" shall respectively comprise of all the places as specified in the Annexure to this notification and include all places within a distance of fifteen kilometers from the periphery of Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place, and Area "C" shall comprise of all the other places not mentioned in the Annexure to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.
- (b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of House Rent Allowance to Central Government employees shall be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the Annexure to this draft proposal.
2. Employees employed in the employments in construction or maintenance of roads or runways or building operation including laying down underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and over communication Cables and similar other under Cabling work, Electric lines, Water supply lines and sewerage lines in 'C' class areas where the minimum rates of wages have been fixed on area wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance shall be paid in addition to the minimum rates of wages fixed by the notification, an amount equal to 10 percent of the minimum rates of wages so fixed:

Provided that in places, which are at a height of over 6,000 feet, above sea level, 10 percent. extra wages will be paid.
3. Workers employed on high rise structures that is on or above 30 feet height, even for one hour in a day shall be paid 20 percent. extra wages of the minimum wages for the appropriate category.

1900 GI/09-5

4. Workers employed on tunnel working shall be paid 20 percent. extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category.
5. (a) **“Unskilled Work”** means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.
(b) **“Semi-skilled Work”** means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and include unskilled supervisory work.
(c) **“Skilled Work”** means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute.
(d) **“Highly Skilled Work”** means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks including clerical work acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for certain reasonable period and also requires of an worker to assume full responsibility for the judgement or decision involved in the execution of these tasks.
6. Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in employment in aforesaid Employments in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification.
7. The minimum rates of wages include also the wages for weekly day of rest.
8. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.
9. The minimum rates of wages payable to disabled employees shall be the same as payable to workers of the appropriate category.
10. Men and women employees shall get the same rates of wages for the same work or work of similar nature.

11. Minimum rates of wages and special allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).

[F. No. S-32017/3/2008-WC (MW)]

HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

Annexure

CLASSIFICATION OF AREAS

AREA – “A”

Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)
Kolkatta	(UA)	Lucknow	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)

AREA – “B”

Agra	(UA)	Jamshedpur	(UA)
Ajmer		Jodhpur	
Aligarh		Kochi	(UA)
Allahabad	(UA)	Kolhapur	(UA)
Amravati		Kozhikode	(UA)
Aurangabad	(UA)	Kota	
Bareilly	(UA)	Ludhiana	
Bhavnagar		Madurai	(UA)
Bikaner		Meerut	(UA)
Bhopal		Moradabad	(UA)
Bhubaneshwar		Mysore	(UA)
Amritsar		Nasik	(UA)
Chandiragh	(UA)	Pune	(UA)
Coimbatore	(UA)	Patna	(UA)
Cuttack	(UA)	Raipur	(UA)
Durgapur		Rajkot	
Faridabad Complex		Ranchi	(UA)
Ghaziabad	(UA)	Sholapur	(UA)
Gorakhpur		Srinagar	(UA)
Guwahati City		Surat	(UA)

Guntur		Thiruvananthapuram	(UA)
Gwalior	(UA)	Vadodara	(UA)
Indore	(UA)	Varanasi	(UA)
Hubli-Dharwad		Vijayawada	(UA)
Jabalpur	(UA)	Vishakhapatnam	(UA)
Jaipur	(UA)	Warangal	

Area 'C' will comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act extend.

NB: U.A. stands for Urban Agglomeration.